इच्छा अभिव्यक्ति

अपर प्रमुख वन संरक्षक,वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी कार्यालय के लिये पंजीकृत फर्मो के माध्यम से एक वर्ष के विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु मानव संसाधन सेवा प्रदान करने हेतु अनुभवी एवं प्रतिष्ठित फर्मो से इच्छा अभिव्यक्ति दिनांक 27.06.2018 को सांय 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो कि दिनांक 27.06.2018 को सायं 03:10 बजे खोले जायेगें। तकनीकी अर्हता निर्धारित शर्ते एवं प्रपत्र विभाग की Website : www.forest.uk.gov.in से Download किया जा सकता है।

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
वन अनुसंधान प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी,शताब्दी भवन,
हल्द्वानी

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक,वन अनुसंधान प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन,उत्तराखण्ड,हल्द्वानी।

बाहय स्त्रोत से (मानव संसाधन) आपूर्ति सेवा प्रदाता का चयन हेतु निविदा

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन,उत्तराखण्ड कार्यालय के लिये पंजीकृत फर्मो के माध्यम से एक वर्ष के लिये विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल मानव संसाधन की आपूर्ति हेतु उक्त कार्य करने हेतु इच्छुक, प्रतिष्ठित कार्य अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सुदृढ़ मानव संसाधन आपूर्ति करने वाली फर्मो से इच्छा अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रित की जाती है। निविदा, द्वि–निविदा प्रणाली के अनुसार एक सीलड कवर में टेक्नीकल बिड दूसरे सीलड लिफाफे में वित्तीय बिड तथा इन दोनों को एक तीसरे लिफाफे में सीलड कर उसके ऊपरी भाग में बडे अक्षरों में ''मानव संसाधन आपूर्ति हेतु टेन्डर'' लिख कर निविदा उक्त पता अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन,उत्तराखण्ड,हल्द्वानी को दिनांक 27.06.2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त करा दी जाये तथा निविदा दिनांक 27.06.2018 को अपरान्ह 3:10 बजे खोले जायेगें।
2. इच्छुक फर्म/एजेंन्सी द्वारा किसी भी संस्थान में अकुशल /अर्द्धकुशल/कुशल कर्मियों की आपूर्ति का अनुभव कम से कम तीन वर्षो का होना आवश्यक है।
3. फर्म/एजेंसी का ई०पी०एफ० एवं ई०एस०आई० कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
4. फर्म/एजेंसी का जी०एस०टी० हेतु रजिस्ट्रेशन होना /कराना आवश्यक है।
5. फर्म/एजेंसी का आयकर कार्यालय में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है।
6. फर्म/एजेंसी द्वारा कर्ममार प्रतिकर अधिनियम/ई०एस०आई० का पालन किया जायेगा। कोई भी दुर्घटना आदि होने पर कर्मचारियों हेतु देयता फर्म/एजेंसी की होगी।
7. फर्म/एजेंसी द्वारा मुहरबंद तकनीकी निविदा के साथ रू० 20000.00(बीस हजार रू०) धरोहर राशि (Earnest Money) का बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक/एफडीआर/राष्ट्रीयकृत बैंक गारण्टी के रूप में जो कि अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन अनुसंधान,प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन,हल्द्वानी के पक्ष में देय हो को अनिवार्य रूप से निविदा के साथ संलग्न किया जायेगा।
8. निविदा स्वीकार होन की दशा में धरोहर राशि सम्बन्धित को वापस कर दी जायेगी। निविदा स्वीकार होने के उपरान्त कार्य न करने पर धरोहर राशि जब्त कर निविदा दूसरे निविदा दाता की स्वीकार करने की कार्यवाही की जायेगी। धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. निविदादाता/फर्म/एजेंसी का पिछले दो वर्षो का औसतन वार्षिक टर्नओवर रू० 5.00 लाख से अधिक होना आवश्यक है।
10. अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी,जिसे संतोषजनक सेवा/आपसी सहमति से आगे भी बढाया जा सकता है।
11. निविदा केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालय को प्रेषित किया जाय। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
12. सफल/स्वीकृत निविदादाता को अपने व्यय पर रू०100.00 नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध/एग्रीमेंट करना होगा। निविदा की शर्ते अनुबन्ध का हिस्सा होंगी। अपर प्रमुख वन संरक्षक,वन अनुसंधान,प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन,हल्द्वानी द्वारा नामित प्रतिनिधि (वन विभाग, प्रथम पक्ष) के साथ सफल/स्वीकृत निविदादाता (द्वितीय पक्ष) को अनुबंध करना होगा।
13. सफल निविदादाता को अनुबंध के समय रू० 50,000.00(पचास हजार रू०) कार्य सुरक्षा धनराशि (performance security) राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैक गांरटी/राष्ट्रीकृत बैंक जो कि अपर मुख्य वन संरक्षक,वन अनुसंधान,प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन,हल्द्वानी के पक्ष में देय हो कर्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा कार्यालदेश निरस्त कर धरोहर जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। सफल निविदादाता द्वारा कार्य सुरक्षा धनराशि (performance Security) उक्तानुसार जमा किये जाने के उपरान्त उसके द्वारा पूर्व में जमा कराई गयी धरोहर राशि रू०20,000.00 (बीस हजार रू०) वापस कर दी जायेगी। फर्म के लिखित अनुरोध पर उसकी धरोहर राशि को परफोरमेंस

सिक्योरिटी के रूप में समायोजित किया जा सकता है। जमा सुरक्षा धनराशि पर वन विभाग किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

14. वन विभाग को यह अधिकार होगा कि वह फर्म/एजेंसी के द्वारा रखरखाव किये जा रहे रिकार्ड की जांच कर सके कि क्या फर्म द्वारा सभी प्रकार के कर ई०पी०एफ०, सेवाकर, ई०एस०आई०/चिकित्सा बीमा का भुगतान नियमानुसार किया जा रहा है अथवा नहीं।
15. निविदा प्रपत्र में इंगित सभी अर्हताएँ पूर्ण करनी आवश्यक है। वॉछित अर्हता न होने पर निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी।
16. निविदादाता को उसके द्वारा निविदा प्रपत्र में भरे एवं उसके साथ रक्षित किये गये प्रमाणित प्रतिलिपियों के सभी मूल अभिलेख निविदा खुलते समय प्रस्तुत करने होंगे।
17. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/आंशिक स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार वन विभाग को होगा।
18. सर्विस चार्ज मजदूरी की कुल धनराशि (मूल वेतन, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता VDA)पर देय होगा। निविदा में सर्विस चार्ज के प्रतिशत का **वित्तीय बिड** पृथक लिफाफे में देना आवश्यक है।
19. समस्त शर्तें पूर्ण करने वाली बैध निविदादाता के ही **वित्तीय बिड खोलें जायेंगे। निविदादाता जिसका सर्विस चार्ज न्यूनतम होगा वह सफल निविदादाता होगा।** एक से अधिक निविदादाता की दर **न्युनतम होने पर अधिक अनुभव, कार्य क्षमता आदि को वरियता के आधार पर चयन किया जायेगा।**
20. आयकर व अन्य सरकारी करों की नियमावली कटौती वन विभाग द्वारा की जायेगी।
21. इस कार्यालय के नियंत्रण के अधीन कार्यालय यदि इस निविदा से चयनित/निविदादाता की सेवा लेना चाहेंगें तो उक्त कार्यालय एवं सकल निविदादाता पृथक से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेंगें।
22. निविदा प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि 27–06–2018 अपरान्ह 03:00 बजे के पश्चात किसी भी प्रकार के अभिलेख स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2. अनुबन्ध की सामान्य शर्ते एवं निर्देश :–

1. अनुबन्ध की अवधि में सफल निविदादाता (द्वितीय पक्ष) के सामान्य प्रकरणों का निस्तारण वन विभाग (प्रथम पक्ष) के नियमों के अधीन होगा तथा कार्य के दौरान उत्पन्न अन्य प्रकरणों का निस्तारण वन विभाग व्यवस्थाओं के आधार पर किया जायेगा।
2. द्वितीय पक्ष अनुबन्ध की शर्तो के साथ–साथ निविदा की सभी शर्तो का पालन करेगा। निविदा का नोटिस तथा निविदा की शर्ते अनुबन्ध पत्र का हिस्सा माना जायेगा।
3. द्वितीय पक्ष को जिस कार्य हेतु प्रथम पक्ष द्वारा अनुबन्धित किया गया है, को विभागीय अधिकारी द्वारा आवंटित/बताये गये कार्यो का सम्पादन कराना आवश्यक होगा।
4. प्रथम पक्ष वन विभाग को किसी भी समय आवश्यकतानुसार अनुबन्ध की शर्तो में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा संतोषजनक कार्य न करने पर द्वितीय पक्ष को नोटिस दिया जायेगा,तो ऐसी दशा में सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा सुरक्षा धनराशि भी जब्त करते हुये ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
6. अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप कार्य न करने की दशा में या ठेका अवधि समाप्त होने से पूर्व कार्य बन्द करने पर जमानत/सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। अनुबन्धानुसार कार्य तथा निविदा शर्तो के अनुसार कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर जमानत/सुरक्षा की धनराशि (मूलराशि)वापस की जायेगी।इसके लिये द्वितीय पक्ष किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार अकुशल,अर्धकुशल व कुशल श्रेणी के वयस्क तथा मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों को ही कार्य हेतु काम पर लगाया जायेगा।
8. द्वितीय पक्ष को अपने कर्मियों की उपस्थिति कि लिये एक उपस्थिति पंजिका अनुरक्षित करनी होगी, जिसमें प्रतिदिन कर्मियों की उपस्थिति दर्शानी होगी और श्रम कानूनों के अनुसार अन्य सम्बन्धित अभिलेख भी ठेकेदार को अनिवार्य रूप से अनुरक्षित करने होंगे।
9. द्वितीय पक्ष सभी श्रम अधिनियमों (ContractACT,EPF Act आदि) का समुचित अनुपालन करने हेतु प्रथम पक्ष के प्रति उत्तरदायित्व होगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा उनको आंवटित ठेका कार्य किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा अन्यथा ऐसी स्थिति में अनुबन्ध निरस्त कर जमानत राशि जब्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
11. वन विभाग एवं ठेकेदार/बाह्य सेवादाता के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उसका निपटारा एकल पंचात (Sole Arbitrator) प्रमुख वन संरक्षक,उत्तराखण्ड द्वारा नामित अधिकारी के स्तर पर किया जायेगा जो अन्तिम होगा एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा तथा उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में दावा याचिका दायर नही की जायेगी।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना–1952 में निहित धारा–36बी एवं अन्य धारायें जो कर्मियों के हित में होगी उनका अक्षरशः पालन करना होगा।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित कर्मियों से कार्य एवं उनका भुगतान वन विभाग में स्थापित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3. कार्य का विवरण,पारिश्रमिक व शैक्षिक अर्हताएं :–

1. अकुशल/अर्ध कुशल/कुशल जिसमें वाहन चालक व चतुर्थ श्रेणी के लगभग 04 दैनिक श्रमिक (कर्मकार)होगें जिनकी संख्या घट व बढ़ सकती है।
2. वन विभाग मे बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित कर्मियों को न्यूनतम वेतन/मजदूरी उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं (Government orders) के अनुसार एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृती के उपरान्त देय होगी।
3. वाहन चालक हेतु जूनियर हाईस्कूल एवं वैध व्यावसायिक लाईसेन्स। वाहन चालक हेतु कार्य अनुभव कम से कम 3 वर्ष। चतुर्थ श्रेणी के कार्य हेतु कक्षा पांच उत्तीर्ण व कार्य दक्षता।

4. Legal Aspects :

1. श्रम नियम/कानूनों का विधिसम्मत् अनुपालन न किये जाने की दशा में द्वितीय पक्ष को सर्विस चार्ज एवं सुरक्षा धनराशि को जब्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष (वन विभाग) के पास सुरक्षित रहेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा समय से ई०पी०एफ० सम्बन्धी ई०सी०आर० (वन विभाग) को उपलब्ध न कराया जाने के कारण यदि कोई शुल्क/दण्ड का भुगतान करना होगा तो वह द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा ।
2. द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित श्रमिकों के द्वारा किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही में यदि प्रथम पक्ष को पक्षकार बनाया जाता है तो उसके खर्च व हर्जाने का सम्पूर्ण भार द्वितीय पक्ष को वहन करना होगा।
3. यदि ठेका कार्य के मध्य द्वितीय पक्ष के किसी कर्मी के साथ किसी प्रकार की दुर्धटना घटित होती है। तो नियमानुसार कर्मकार प्रतिकर अधिनियम/ईएसआई के प्राविधानों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति अथवा जो राशि कानूनी तौर पर देय होगी, के भुगतान का पूरा दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
4. ठेका कर्मियों की यदि कार्य के दौरान कोई आकस्मिक दुर्धटना हो जाती है तो चिकित्सा सुविधा हेतु व्यय धनराशि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन की जायेगी।
5. नियोजित कर्मियों को बाहर कार्यालय से भेजे जाने की स्थिति में श्रेणीवार का अनुमन्य न्यूनतम यात्रा दैनिक भत्ता भी द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जायेगा। जिसका क्लेम उस माह के बिल के साथ किया जायेगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किसी कार्मिक या कर्मी को प्रथम पक्ष द्वारा अनुपयुक्त पाये जाने पर मौखिक या लिखित सूचना पर द्वितीय पक्ष को कार्य से हटाना होगा तथा इसके स्थान पर नया कर्मी उपलब्ध कराना होगा।

5. Terms of Payment (भुगतान की शर्ते) :

1. द्वितीय पक्ष द्वार प्रत्येक माह की समाप्ति पर भुगतान बिल आगामी माह की प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से नियोजित कर्मियों को प्रस्तुत करना होगा।
2. सर्विस चार्ज, मजदूरी की कुल धनराशि (मूल वेतन+परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता) पर देय होगा। ई०पी०एफ० नियोक्ता अंशदान,कर्मकार प्रतिकर/ई०एस०आई०,बोनस पर सर्विस चार्ज देय नही होगा। समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त आदेशानुसार संशोधन किया जा सकता है।
3. प्रथम पक्ष वन विभाग द्वारा बिलों में अंकित मजदूरी की धनराशि,ई०पी०एफ० नियोक्ता अंशदान, कर्मकार प्रतिकार तथा सर्विस चार्ल की धनराशि के योग से समय–समय पर लागू दर के अनुसार टी०डी०एस० (आयकर) की कटौती कर शेष धनराशि का भुगतान बिल प्राप्त होने पर कराया जायेगा। प्रथम पक्ष वन विभाग द्वारा टी०डी०एस० की संकलित धनराशि आयकर विभाग के सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा कराई जायेगी।
4. Goods and Services Tax सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी होगी।
5. ठेका समाप्त होने की दशा में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम के कार्यो हेतु नियोजित अपने कर्मियों के ई०पी०एफ० लेखा का निस्तारण नियमानुसार दो माह में करा दिया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा कार्यालय एवं सर्विस टैक्स कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा। अन्तिम माह का सर्विस चार्ज एवं सुरक्षा धनराशि वापस की जायेगी।

प्रपत्र – 1

तकनीकी बिड

1. फर्म का नाम ....
2. फर्म का स्थापना वर्ष ....
3. फर्म का पंजीकरण संख्या ....
4. फर्म का पता ....
5. दूरभाष संख्या ....
6. फर्म का बैंक एवं उसका पता ....
7. फैक्स ....
8. ई–मेल ....
9. जी०एस०टी० संख्या ....
10. टेन नम्बर ....
11. पैन नम्बर ....

क्र०सं०	संलग्न अभिलेखों का विवरण	संलग्न अभिलेख (हां / नही)	पेज संख्या
1.	मानव संसाधन आपूर्ति फर्म का पंजीकरण प्रमाण–पत्र		
2.	धरोहर राशि का विवरण संलग्न ड्राफट / बैंकर चैक / बैंक गारण्टी / एफ०डी०आर० / एस०टी०डी०आर०		
3.	श्रम अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण		
4.	फर्म का विगत 03 वर्षो का वार्षिक टर्नओवर अभिलेख संलग्न करें		
5.	फर्म का विगत 03 वर्षो का आयकर रिर्टन संलग्न करें		
6.	जी०एस०टी० पंजीकरण सम्बन्धी सूचना		
7.	कार्य अनुभव मानव आपूर्ति का कम से कम 03 वर्षो का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें		
8.	फर्म के मुख्य कार्मिकों की सूची व कार्य अनुभव		
9.	निविदा दाता फर्म के सम्बन्ध में निम्न घोषण करना		
	(अ) उत्तरखण्ड व अन्य राज्य सरकार व केन्द्र सरकार में फर्म को काली सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।		
	(ब) फर्म को गलत सूचना देने पर आयेग्य घोषित नहीं किया गया है।		
10.	संलग्नक प्रमाण पत्रों की सूची		

हस्ताक्षर

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर)
(अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम व पदनाम)
फर्म का नाम व मोहर

दिनांकः–
स्थान :–

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि फर्म के सम्बन्ध में संलग्न–बी में दी सूचना मेरी/हमारी जानकरी के अनुसार सहीं है। मेरे/हमारे द्वारा दी गयी सूचना यदि गलत पाई जाती है तो हमारी धरोहर राशि बिना सूचना के जब्त कर ली जाय और मेरे/हमारे विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जा सकती है।

हस्ताक्षर

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर)
(अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम व पदनाम)
फर्म का नाम व मोहर

दिनांकः–
स्थान :–

प्रपत्र– 2

वित्तीय बिड

सर्विस चार्ज मजदूरी की कुल धनराशि जो कि(मूल वेतन+परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता) पर ही देय होगा। फर्म का सर्विस चार्ज उक्त मजदूरी की कुल धनराशि का .... प्रतिशत है।

हस्ताक्षर

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर)
(अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम व पदनाम)
फर्म का नाम व मोहर

दिनांकः–
स्थान :–